[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 4 में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

का. नि. आ. — 16 (अ). – केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि खासयोल छावनी, जिसकी सीमाएं अधिसूचना संख्यांक का. नि. आ. 200, तारीख 31 जनवरी, 1942 में परिभाषित की गई थी, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छावनी नहीं रहेगी।

[सं. 19(101)/2010-डी(क्यू एवं सी)]

(राकेश मित्तल)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27 April, 2023.

S.R.O.—(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby declares that the Cantonment of Khas Yol, the limits of which were defined in notification number S.R.O. 200, dated the 31st January, 1942, shall cease to be a cantonment with effect from the date of publication of this notification.

[No. 19(1\Q1)/2010-D(Q&C)]

(Rakesh Mittal)

Joint Secretary to the Government of India